



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 1999/आश्विन 6, 1921

No. 589]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1999/ASVINA 6, 1921

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1999

का. आ. 791(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

दिल्ली शहरी विरासत संस्था विनियम, 1999

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी संबंधितों के सहयोग से नगर को निर्मित और प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 5-क में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली शहरी विरासत संस्था की स्थापना की। इस संस्था का कार्य इन विनियमों के अधीन शासित होगा।

ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तत्काल लागू होंगे।

2. परिभाषा :—

जब तक प्रसंग अथवा अर्थ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में

- (1) "अधिनियम" से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है।
- (2) "प्राधिकरण" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।
- (3) "दिल्ली शहरी विरासत संस्था" से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5-क के अंतर्गत गठित समिति से है।
- (4) "सदस्य" से अभिप्राय दिल्ली शहरी विरासत संस्था के सदस्यों से है।

3. लक्ष्य और उद्देश्य :—

क. राजधानी नगर (दिल्ली) की निर्मित और प्राकृतिक विरासत, जिसकी सुरक्षा, विकास और पोषण सभी नागरिकों द्वारा किए जाने की जरूरत है, के संरक्षण के लिए नीतियां तैयार करना और उनको कार्यान्वित करना और इसे भावी पीढ़ियों को सौंपना।

(ख) नगरीय और शहरी विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

- (1) वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण और शिल्पकला कार्य।
- (2) ऐतिहासिक महत्व के भवन
- (3) नगरीय और शहरी विरासत के तकनीकी और वैज्ञानिक महत्व पर जोर देना।
- (4) सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व के विद्यमान स्मारक और
- (5) स्मारक और ऐतिहासिक उद्यान, आदि।
- (ग) नदी तट, नगर चार दीवारी, गेट्स, पुल, छोटे मार्ग, सार्वजनिक स्थल, इडिक्टस एवं रोककट फारमेशन जैसी शहरी पर्यावरणात्मक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और सुधार करना।
- (घ) ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्ट्रीट एवं रुफ स्केप का संरक्षण और सुधार करना।
- (ङ) समुचित उपयोग हेतु पुरानी इमारतों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना।
- (च) नगर के शहरी विकास प्रक्रिया की प्रवृत्ति के रूप में संरक्षण को बढ़ावा देना।
- (छ) शहरी विरासत के सभी या कुछ अवयवों की रक्षा करने के प्रयासों में व्यक्तियों, संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराना।
- (ज) विरासत भवनों, विरासत जोन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संरक्षण।
- (झ) संस्था द्वारा यथा निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों के संबंध में मार्ग निर्देशों की सिफारिश करना।
- (ञ) विरासत एवं विकास संस्था द्वारा यथा निर्दिष्ट क्षेत्रों की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- (ट) विरासत से संबंधित प्रस्तावों और नीतियों को तैयार करना, उनकी जांच करना और समीक्षा करना।

4. गठन

संस्था में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- | | |
|---|--------------|
| (1) उपराज्यपाल, दिल्ली | — अध्यक्ष |
| (2) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. | — उपाध्यक्ष |
| (3) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली | — सदस्य |
| (4) वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. | — सदस्य |
| (5) अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. | — सदस्य |
| (6) आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. | — सदस्य |
| (7) मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा. | — सदस्य सचिव |

इसके अतिरिक्त इस संस्था के सहयोजित सदस्य प्रतिष्ठित इतिहासकार, पुरातत्त्वज्ञ/कलाकार, गैर सरकारी संगठन, दिल्ली के प्रसिद्ध नागरिक और डी.यू.ए.सी., आई.टी.डी.सी., डी.टी.टी.डी.सी., केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सरकार एवं अन्य सरकारों से होंगे। सहयोजित सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं होगी।

सहयोजित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

कार्य/शक्तियाँ :—

यह संस्था शहरी विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित तरीके से कार्य करेगी :—

- (1) किसी विरासत-भवन, विरासत-अहाते/परिवेश अथवा क्षेत्रों में एवं राजधानी शहर की प्राकृतिक सम्पदा जैसे नदी-मुहाने, रिज तथा पहाड़ों का निर्माण होने आदि की रक्षा करने, संरक्षित/सुरक्षित रखने अथवा उनकी ऐतिहासिकता, सौन्दर्य, सांस्कृतिक और वास्तुविदीय कोटि को बनाए रखने के लिए, यदि आवश्यकता हो तो सरकार/प्राधिकरण के अनुमोदन से विद्यमान विनियमों के प्रावधानों को परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा उनमें छूट देने, के कार्य।
- (2) केवल आपवादित मामलों में भवनों अथवा क्षेत्रों के मूलस्वरूप, वास्तुविदीय ऐतिहासिक विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना, ए.एस.आई. के अधीन आने वालों को छोड़कर विरासत-भवनों/क्षेत्रों में विशेष परिवर्तनों की अनुमति देने के कार्य। इसके अतिरिक्त यह संस्था निम्नलिखित शक्तियों को भी इस्तेमाल करेगी।
- (3) अकेले ही अथवा जिन्हें यह संस्था आवश्यक समझे, ऐसी अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों के सहयोग से ऐसे अन्य कार्य करना जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हों।

- (4) इस संस्था तथा इसकी नीतियों एवं प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थानों तथा दिल्ली के विकास एवं विरासत से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन करना।
- (5) प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित नियंत्रणों और प्रतिबंधों के अधीन आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के माध्यम से पुनर्नियुक्ति द्वारा यह संस्था उतनी संख्या में प्रशासनिक, तकनीकी, अनुसंधिषीय और अन्य कार्मिक नियुक्त कर सकती है, जितने कि आवश्यक हों।

6. अध्यक्ष की शक्तियाँ :—

अध्यक्ष के पास इन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने जो वह उचित समझे, की शक्तियाँ होंगी। तथापि, इस संस्था की आगामी बैठक में उसकी पुष्टि की जाएगी।

7. बैठकें :—

- (i) इस संस्था का कार्यालय विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में मुख्य वास्तुकार के कार्यालय में स्थित होगा।
- (ii) संस्था के सदस्य जब भी आवश्यक होगा आपस में मिलेंगे और उनको अधिकार होगा कि वे अपनी कार्यविधि को विनियमित करें।
- (ii) इस संस्था की बैठकें राज निवास, दिल्ली में उपराज्यपाल के कार्यालय में होंगी।
- (iv) प्राधिकरण के मुख्य वास्तुकार संस्था के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे और बैठकों और अनुषर्ती कार्यवाई का रिकार्ड रखेंगे।
- (v) कोरम बनाने के लिए सात सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

8. फीस और भत्तें :—

- (i) संस्था के सदस्यों (प्राधिकरण के सदस्यों एवं कार्यालयी सदस्यों को छोड़कर) को संस्था की बैठकों में शामिल होने और इन सदस्यों द्वारा संस्था के अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन 400/- रु. जेब खर्च अदा किया जाएगा।
- (ii) जब भी कोई सदस्य जो दिल्ली के निवासी नहीं हैं और जिन्हें दिल्ली के बाहर से विशेष रूप से संस्था की बैठक में उपस्थित होने के लिए आना पड़ता है, उनको यात्रा के लिए मील भत्ता दिया जायगा। यह मील भत्ता प्राधिकरण के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिए स्वीकार्य दर के अनुसार दिया जाएगा।

बशर्ते कि संसद सदस्य जो संस्था के भी सदस्य हैं, को उक्त दैनिक और मील भत्ता तभी दिया जाएगा, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और सदस्य इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि उन्होंने इस यात्रा अथवा ठहराव के लिए इस प्रकार का कोई भत्ता, किसी भी सरकारी स्रोत से नहीं लिया है।

9. वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा :—

- (i) संस्था और उसके प्रचालक कार्यकलापों के लिए खर्चा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास निधि, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों और दान इत्यादि से अन्य प्राप्तियों से किया जाएगा।
- (ii) दिल्ली शहरी विरासत निधि खाते से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों और भुगतान का रिकार्ड रखने के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा। शहरी विरासत निधि से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान को निम्नानुसार नजूल खाते-II के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

प्राप्ति शीर्ष :—

क. नजूल खाता-II

(vii)-ग जमा एवं अग्रिम

ख. अन्य उच्चतम मदें

(ii) जमा

ग. अन्य अग्रिम, दि.वि.प्रा. शहरी विरासत निधि

1. केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्तियां
2. शहरी विकास निधि से प्राप्तियां
3. दि.वि.प्रा.-अन्य एजेंसियों से प्राप्तियां
4. अन्य प्राप्तियां/दान

भुगतान शीर्ष :

क. नजूल खाता-II

गग जमा एवं अग्रिम

(IV) अग्रिम

I अन्य अग्रिम—दि.वि.प्रा. शहरी विरासत निधि

(1) पुरस्कार का भुगतान

(2) संस्थापना व्यय

(3) अन्य भुगतान

(iii) संस्था उचित खाते और अन्य संबंधित रिकार्डों का रखरखाव करेगी और तुलन-पत्र सहित खातों का वार्षिक विवरण इस प्रकार से तैयार करेगी, जैसा प्राधिकरण निर्धारित करेगा।

10. खातों का प्रचालन

संस्था के बैंक खातों का प्रचालन वित्त सदस्य द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11. व्यय करने की शक्तियाँ

संस्था को अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को बढ़ावा देने और प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किए जाने वाले खर्चों को स्वीकृत करने की शक्ति होगी। सदस्य सचिव को समय-समय पर संस्था द्वारा निर्धारित सीमा तक आकस्मिक व्यय करने की शक्तियाँ होंगी।

[सं. एच.यू.पी.डब्ल्यू/सी.ए./ (336) डी.यू.एच.पी./99/80]

विश्व मोहन बंसल, सचिव एवं आयुक्त

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 1999

S. O. 791(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations, namely:—

DELHI URBAN HERITAGE FOUNDATION REGULATIONS, 1999.

With a view to safeguard the built and natural heritage of the city through collaborative efforts of all concerned, the Delhi Urban Heritage Foundation is set up by Delhi Development Authority in exercise of its powers under Section 5-A of the Act. The business of the Foundation will be governed under these Regulations.

These Regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS:

In these regulations, unless there is anything inconsistent with the context or meaning:—

- (i) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).
- (ii) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- (iii) "Delhi Urban Heritage Foundation" means the Committee constituted by the Authority under Section 5-A of the Act.
- (iv) "Members" shall mean the members of the Delhi Urban Heritage Foundation.

3. AIMS AND OBJECTIVES:

- (a) To frame and implement policies for conservation of Built and Natural heritage in the capital city (Delhi) which needs to be protected, nourished and nurtured by all citizens and pass it on to the coming generations.
- (b) To promote conservation of the civic and urban heritage which includes:
 - (i) Architecturally significant and Artisanary works.
 - (ii) Historical landmarks.
 - (iii) Focus on technical & scientific significance of civic and Urban heritage.
 - (iv) Living monuments having socio-cultural value, and

- (v) Memorials and Historical Gardens, etc.
- (c) To protect and improve environmental assets of the city such as Riverfront, city wall, gates, bridges, vistas, public places, edicts and rockcut formation.
- (d) To conserve and improve historically significant streets and roof scapes.
- (e) To promote reuse of old buildings for appropriate utilisation.
- (f) To promote conservations as an attitude to the City's urban development process.
- (g) To provide assistance to individuals, institutions and NGOs in their efforts to save all or in parts components of urban heritage.
- (h) Conservation of heritage buildings, heritage zones and areas of significant value.
- (i) To recommend guidelines related to special areas as designated by the Foundation.
- (j) To review the policies and programmes of areas as designated by the Foundation of the Heritage and development.
- (k) To prepare, examine and review the proposals and policies as related to the heritage.

CONSTITUTION

The Foundation shall comprise the following :—

- | | |
|--|-----------------------|
| (i) Lt. Governor of Delhi | --- Chairman |
| (ii) Vice-Chairman, DDA | --- Vice-Chairman |
| (iii) Chief Secretary, National Capital Territory of Delhi | --- Member |
| (iv) Finance Member, DDA | --- Member |
| (v) Engineer Member, DDA | --- Member |
| (vi) Commissioner (Plg.), DDA | --- Member |
| (vii) Chief Architect, DDA | --- Member-Secretary. |

In addition, the Foundation shall co-opt members from eminent Historians, archaeologists/Artists, NGOs, renowned citizens of Delhi and from DUAC, ITDC, DTTDC, Central Government, Government of N.C.T. of Delhi & others. The number of co-opted Members shall not exceed TEN.

The tenure of the co-opted members shall be two years.

5. FUNCTIONS/POWERS :

The foundation shall perform the functions with reference to the Urban Heritage in the following manner :—

- (i) To alter, modify or relax provisions of existing regulations, with the approval of Govt./Authority if it is needed for protection, conservation, preservation or retention of historical, aesthetic, cultural, architectural quality of any heritage building, heritage precincts or zones as well as natural assets of the Capital City such as river Front, Ridge and Rock Formations, etc.
- (ii) To permit major alterations to heritage buildings or areas excluding those which are under ASI, only in exceptional cases, without changing the character, architectural/historical features of the building or areas.

In addition, the Foundation shall also exercise the following powers :—

- (iii) To do all such other acts and things either alone or in conjunction with other Organisations or persons as the Foundation may consider necessary incidental or conducive to the attainment of the objectives.
- (iv) To form an Advisory Committee comprising members from DDA, Government and Local Bodies, Institutions and NGOs associated with heritage development of Delhi, to advice on matters related to the Foundation and its

286061/99-2

policies and proposals.

- (v) Subject to such control and restrictions as may be prescribed by the Authority, the Foundation may post such number of administrative, technical, ministerial and other personnel as is the minimum required through Commissioner (Personnel), DDA by means of redeployment alone.

6. POWERS OF THE CHAIRMAN :

The Chairman shall have the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these Regulations. However, they shall be subject to the confirmation of the Foundation in its next meeting.

7. MEETINGS:

- (i) The office of the Foundation shall be located in the office of the Chief Architect in Vikas Minar, JP Estate, New Delhi.
- (ii) The Foundation shall meet as and when necessary and shall have the power to regulate its own procedure.
- (iii) The meetings of the foundation shall take place in the office of Lt. Governor of Delhi at Raj Niwas, Delhi,
- (iv) The Chief Architect of the Authority shall act as the Member-Secretary of the Foundation and shall keep the record of the meetings and the follow up action.
- (v) The presence of seven members shall be necessary to form a quorum.

8. FEES AND ALLOWANCES:

- (i) The members of the Foundation (other than the members of the Authority & official members) shall be paid out of Pocket Expenses @ Rs. 400/- per day for attending the meetings of the Foundation and for any other works of the Foundation done by such members; and
- (ii) Whenever a member, who is not a resident of Delhi, has to come from outstation to Delhi specially to attend a meeting of the Foundation, he shall be paid mileage allowance for the journey at such rate as is admissible to an officer of the Authority of the first grade:

PROVIDED: that in case of Member of Parliament, who is also a member of the Foundation, the said daily and mileage allowance will be admissible when the Parliament is not in Session and on production of certificate by the member that he has not drawn any such allowance for the same journey and halts from any other Government source.

9. FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT:

- (i) The expenses for setting up the Foundation and its operational activities shall be met by the DDA from Urban Development Fund, other receipts from Central Government, G. N. C. T. D./Local Bodies and donations, etc.
- (ii) Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to Delhi Urban Heritage Fund Account. The receipts and payments relating to urban heritage fund shall be classified under Nazul Account-II as below:

Receipt Head:

A. Nazul A/c II

VII- C - Deposits and Advances.

- (b) Other suspense items.
 - (ii) Deposits
- (c) Other advances - DDA Urban Heritage Fund
 - (1) Receipts from Central and State Govt.
 - (2) Receipts from Urban Development Fund.
 - (3) Receipts from DDA - other agencies.
 - (4) Other receipts/donations.

Payment Head

A- Nazul A/c II

9-C - Deposits & Advances.

- (iv) Advances.

(I) Other Advances - DEA Urban Heritage Fund.

- (1) Payment of Awards.
- (2) Est. Expenses.
- (3) Other payments.

(iii) The foundation shall maintain proper Accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the authority may prescribe.

10. OPERATION OF ACCOUNTS:

The Bank Account of the Foundation will be operated by an Officer so authorised by Finance Member.

11. POWERS TO INCUR EXPENSES:

The Foundation shall have the power to sanction such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the Foundation. The Member - Secretary shall have the powers to incur contingent expenses upto the limit from time to time as fixed by the Foundation.

[No. HUPW/CA/(336) DUHP/99/80]

V.M. BANSAL, Commr. cum- Secy.

